

यौनिकता और अधिकार



यौनिकता और अधिकार

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, ऐसे अधिकार हैं, जिनके अंतर्गत सभी लोग, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग, पुरुष हों या महिला, ग्रामीण हों या शहरी, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से हों, अपने यौन—व्यवहार और प्रजनन के बारे में फैसले कर सकते हैं। इसके तहत इन फैसलों को लेने में मदद करने वाली ज़रूरी जानकारी और सेवाएं हासिल करने का भी अधिकार शामिल है। यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है साथ ही अपने शरीर और जीवन के बारे में खुद चुनाव करने से भी संबंधित है। अपने शरीर और जीवन के बारे में फैसले खुद कर पाने के लिए, यौनिकता को समझना एक ज़रूरी कदम है।

यौनिकता, हर व्यक्ति के जीवन का अहम पहलू है। सभी लोगों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, चाहे वे कहीं भी रहते हों, अपना जीवन सम्मान से, स्वतंत्रता के साथ और स्वस्थ जीने का अधिकार है। यौनिकता के संबंध में इसका मतलब

यह है कि सभी को यौनिकता के बारे में सही जानकारी पाने, सुरक्षित और सहमतिपूर्ण तरीके से यौन-व्यवहार को प्रदर्शित करने, अपनी यौनिकता के बारे में खुद फैसले करने, वह काम नहीं करने, जिसे करने में वे असहज महसूस करें, अपनी पसंद और ना पसंद को व्यक्त करने – इन सभी का अधिकार है।

“यौनिकता, मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसके तहत, यौन, जेंडर पहचान और भूमिकाएं, यौन आकर्षण/झुकाव, काम इच्छा, आनंद, अंतरंगता और प्रजनन शामिल हैं। यौनिकता को विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं, विश्वासों, मानसिकता, मूल्यों, व्यवहारों, आदतों, भूमिकाओं और रिश्तों में महसूस और व्यक्त किया जाता है। जहां यौनिकता में ये सभी आयाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इन सभी को महसूस या व्यक्त नहीं किया जाता है। यौनिकता पर जैविक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक,

राजनैतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सबंधों का प्रभाव होता है। (विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा, 2002)

हमें यौनिकता के बारे में चर्चा करने की क्या ज़रूरत है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि यौनिकता सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालती है। कोई व्यक्ति क्या कपड़े पहनना पसंद करता है, किस चीज़ के लिए आकर्षण महसूस करता है, यह यौनिकता ही है। लोगों, खासकर युवतियों और महिलाओं पर लगाए गए नियंत्रण, रिश्ते बनाने के बारे में फैसला, किसके साथ रिश्ते बनाए जाएं, शादी करना, बच्चों को जन्म देने या न देने के बारे में फैसला, यौन हिंसा और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, चुप न रहना, हर अनचाहे स्पर्श को ना कह पाना, ये सब यौनिकता के हिस्से हैं। यौनिकता के बारे में चर्चा करना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका जीवन के दूसरे पहलुओं

से भी संबंध होता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकारों और सेवाओं तक पहुँच, रोज़गार, रिश्ते, संपत्ति, हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव और कई अन्य पहलू।

यौनिकता का जेंडर के हिसाब से लोगों पर अलग—अलग असर होता है। समाज में ऐसे कई नियम, अपेक्षाएं और भूमिकाएं हैं, जो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हैं। पर यह क्यों अलग हैं? क्या यह अंतर ठीक है? यह सवाल पर सोचना और इसे उठाना ज़रूरी है। यह फर्क शरीर के अंतर के कारण नहीं होता है, बल्कि लड़कों और लड़कियों से समाज को, जिन भूमिकाओं को अदा करने और खास तौर पर यौन—व्यवहारों की अपेक्षाएं होती हैं, उनके कारण ऐसा होता है। इन अंतरों का जेंडर और यौनिकता से गहरा संबंध है।

यौन हिंसा, मानव अधिकार में एक गंभीर समस्या है, जिसके महिलाओं के शरीरिक, मानसिक और यौन और प्रजनन

अधिकारों पर छोटे और लंबे समय, दोनों ही के दुष्परिणाम होते हैं। यौन शोषण और हिंसा क्या है? छेड़छाड़, बोल कर परेशान करना, घूरना, सड़क और बाकी सार्वजनिक जगहों पर अनचाहे तरीके से छूना, अनचाहा स्पर्श, चाहे किसी ने भी किया हो (परिवार, घर के अंदर, स्कूल, कॉलेज, मार्केट में, काम करने के स्थान पर – कहीं पर भी, कभी भी) यह सभी यौन शोषण और हिंसा है। यौन हिंसा के बारे में बात करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को भाषा और शब्द जानने की ज़रूरत होती है। उन्हें यह भी सुनने की ज़रूरत होती है कि उनपर यौन हिंसा उनकी गलती नहीं है – चाहे वे कहीं भी हों, किसी भी समय में, किसी के भी साथ हों या अकेली हों, कुछ भी पहना हो। बहुत ज़रूरी है कि यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, यौन हिंसा करने वाले को शर्मिंदा किया जाए, उनको कानूनी सज़ा मिले और जिसपर हिंसा हुई है, उसका साथ देना और हर तरह से सहायता देना भी ज़रूरी है।

हालांकि यौनिकता हर व्यक्ति के जीवन का केंद्रबिंदु होता है, फिर भी यह जीवन का बहुत ही नियंत्रित पहलू होता है। इस पर काफी चुप्पी है। परिवार और संस्कृतियों की यौनिकता पर एक समझ होती है और यह अपेक्षा की जाती है कि लोग अपनी संस्कृति में बनाए गए नियमों के अनुसार जीवन यापन करें। अलग—अलग संस्कृतियों और समाजों में ये नियम अलग—अलग होते हैं, और ज्यादातर जगह, ये नियम पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग—अलग होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ युवा, यौनिकता के बारे में जानकारी अक्सर अपने हमउम्र साथियों से हासिल करते हैं, जो हो सकता है हमेशा ठीक न हो। उन्हें शिक्षकों और माता—पिता से ऐसे संकेत मिलते हैं कि यौनिकता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।

हालांकि, यौनिकता सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम चर्चा की जाती है। यही कारण है कि यौनिकता के बारे में अधिक जानकारी की ज़रूरत है।

इससे सभी को, खासकर युवाओं को अपनी बढ़ती उम्र के साथ, मन में पैदा होने वाले संदेहों को दूर करने में मदद मिलेगी। यौनिकता के बारे में सही जानकारी रखने का मतलब यह होगा कि युवाओं को अपने शरीर में होने वाले बदलावों की जानकारी होगी, वे अपने आप को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाएंगे। वे निश्चय कर पाएंगे कि कब 'हां' कहना है और कब 'ना', और जब वे असहज महसूस करें तो उनमें 'ना' कहने का साहस होगा। इसका मतलब यह भी है कि जो चीज़ें वे अपने जीवन में करना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी के साथ 'हां' करने का भी साहस है। सही यौन शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मतलब किसी काम को करने से रोकना नहीं है। इससे लोगों को जानकारी प्रदान कर, उनके अंदर की अपराध की भावना और डर को दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि वे अपने शरीर, जीवन और रिश्तों के बारे में जानकारी पूर्ण फैसले कर सकें। इससे सही और पूरी जानकारी दी जाती है

तथा सेक्स, यौनिकता और जेंडर के बारे में उनकी शंकाओं को दूर किया जाता है।

सभी के जीवन में यौन स्वास्थ्य का भी महत्व होता है। इसका मतलब है, यौनिकता के संबंध में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। यौनिकता और उससे जुड़े अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर, इसे युवाओं के साथ सभी के लिए हकीकत बनाया जा सकता है।

ये अधिकार, मानव अधिकारों का अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज़ों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन अधिकारों में, सभी व्यक्तियों को किसी दबाव, भेदभाव और हिंसा के बिना जीने, यौन स्वास्थ्य के अच्छे मानक, यौनिकता से जुड़ी जानकारी मांगने और हासिल करने, शरीर की अखंडता का सम्मान करने, अपने साथी चुनने, यौन सक्रिय होने या न होने के बारे में फैसला करने, रज़ामंदी से यौन संबंध बनाने, सहमति से शादी करने,

बच्चों के बारे में फैसला करने कि बच्चे हों या न हों, यदि हों तो कब और कितने हों, बच्चों को जन्म देने और संतुष्ट, सुरक्षित और आनंददायक यौन जीवन व्यतीत करना शामिल है।

यौनिकता से जुड़ा एक प्रमुख अधिकार है, अपने शरीर और जीवन के बारे में फैसले करने की छूट। और यही अधिकार विभिन्न गांवों, शहरों, देशों या क्षेत्रों में रहने वाली बहुत सी युवतियों और महिलाओं को नहीं दिया जाता है। यौनिकता संबंधी जानकारी के साथ-साथ युवाओं में विश्वास जगाना भी ज़रूरी है, ताकि वे खुद फैसले लेने में सक्षम बन सकें।

सहयोगी संस्थाएं

महिला मंडल

कार्यालय, ग्राम, पोस्ट, इटखोरी, ज़िला चतरा, पिन- 825408 झारखंड

लोक प्रेरणा केन्द्र

पी टी सी चौक, लालकोठी, भटवारी, ज़िला हज़ारीबाग, पिन- 825301,
झारखंड

प्रेरणा भारती

पथरचपटी मधुपुर ज़िला देवघर, पिन- 815353, झारखंड

सिंहभूमि ग्रामीण उन्नयन महिला समिति

ग्राम झरिया वाया चाकुलिया ज़िला पूर्वी सिंहभूमि पिन- 832301, झारखंड

आंकाक्षा सेवा सदन

गावं मैदापुर चौबे, पोस्ट खरूना, ज़िला मुज़ज़फ़रपुर, पिन— 843113,
बिहार

नारी निधि

202 वैधनाथ पेलेस द्वितीय तल ए जगदेव पथ वैली रोड पटना,
पिन— 800014, बिहार

सर्वो प्रयास संस्थान

शंकर चौक वार्ड न0 6 मधुवनी पिन— 827211, बिहार

ग्रामोन्नती संस्थान

सुभाश चौकी के पास, लघांनपुरा, महोबा— 210427, उत्तर प्रदेश

वीरांगना महिला विकास संस्थान

132, गुसाईपुरा, झांसी, पिन— 284002, उत्तर प्रदेश

आग्राज़-ए-इन्साफ़

एम— 2, 214, सेक्टर आई ,जानकीपुरम्, लखनऊ, पिन— 226021,
उत्तर प्रदेश

यह प्रकाशन फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से तैयार किया गया है।

निशुल्क कॉपियाँ मंगवाने के लिए, संपर्क करें:

क्रिया

7 बी जंगपुरा, नई दिल्ली 110014

फोन: +91-11-24377707 / 24378700, ईमेल: crea@creaworld.org

वेबसाइट: www.creaworld.org



crea